पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 अप्रैल, 2024 ई0 (चैत्र 17, 1946 शक सम्वत्) [संख्या–14

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	429–430	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	121–127	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	39–41	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड

विज्ञप्ति

29 नवम्बर, 2023 ई0

पत्रांक– 5187/तीन–61/च0सं0/2022–23–उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग–3, देहरादून के शासनादेश संख्या–738/XVIII(3)/2023–03 (02)/2022, दिनांक 03 नवम्बर, 2023 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम–1953 (उ0प्र0अधिनियम संख्या–5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा–52 की उपधारा–(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं चन्द्रेश कुमार, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद ऊधमसिंह नगर, तहसील व परगना रूद्रपुर, के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी है:–

क्र0सं0	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जनपद
1	2	3	4	5
1.	कुरैया	रूद्रपुर	रूद्रपुर	ऊधमसिंह नगर

चन्द्रेश कुमार,
संचालक चकबन्दी/
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तराखण्ड देहरादून।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 अप्रैल, 2024 ई0

संख्या 439/XXXI(1)/2024/पदो0–01/2020–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्रीमती कलावती मर्तोलिया, को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव, वेतनमान–₹ 67700–208700 (लेवल–11) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती कलावती मर्तोलिया अनुसचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3–उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0)/2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4–अनुसचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

आज्ञा से,
दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 हिन्दी गजट/211–भाग 1–2024 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 अप्रैल, 2024 ई0 (चैत्र 17, 1946 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

February 26, 2024

No. 54/UHC/Admin.A-II/2024--Civil Judge (Sr. Div.), Almora is given the powers of Drawing and Disbursing Officer (DDO) of the Family Court, Almora for the sanctioned child care leave duration (12.02.2024 to 23.03.2024) of Ms. Neena Aggarwal, Judge, Family Court, Almora, in light of the Notification No. 101-one/Nyay Anubhag/2002 dated 05.04.2002 of the Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

ASHISH NAITHANI.

NOTIFICATION

February 26, 2024

No. 55/UHC/Admin.A-II/2024--Pursuant to Government Notification No. 47/XXX(4)/2024-04(1)/2018-T.C. dated 19.02.2024, Shri Ajay Dungrakoti, direct recruit from the Bar to Uttarakhand Higher Judicial Service (*HJS-2019 Batch*) in the pay scale of ₹ 1,44.840-1,94,660 (Level J-5) is posted as Additional District & Sessions Judge, Rudraprayag, in the vacant Court.

Note:

1. Shri Ajay Dungrakoti is appointed notionally from 01.04.2020 and his pay will be fixed from the said date.
2. He will not be paid any back wages until the date of his taking over charge.
3. Appointment of Shri Ajay Dungrakoti shall remain subject to final outcome of *Special Leave to Appeal (Civil) No. 22958 of 2023 Rahul Singh vs. State of Uttarakhand & Others*, pending in Hon'ble Supreme Court of India.
4. Shri Ajay Dungrakoti will be on probation for a period two years.
5. Shri Ajay Dungrakoti will not be entitled to get Travelling Allowance for taking over charge.
6. Shri Ajay Dungrakoti is directed to report to the District & Sessions Judge, Rudraprayag immediately for taking over charge.
7. District Judge, Rudraprayag is directed to arrange Dias training of Shri Ajay Dungrarakoti till the time he is called for Foundation training at UJALA. During the Dias training, he would be attached with parent Courts in Civil as well as Criminal Side, various offices of the Judgeship to acquaint himself about working of the offices. He is directed to read General Rule (Civil) & General Rule (Criminal) & various Circular letters issued by the Hon'ble Court. He shall maintain a training diary, which shall be perused by the District Judge, Rudrapayag time to time and shall be submitted to the Hon'ble Court along with his comments, after completion of the Dias training.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

ASHISH NAITHANI,

Registrar General.

NOTIFICATION

February 29, 2024

No. 56/XIV/a-39/Admin.A/2017--Ms. Shalini Dadar, Civil Judge (Jr. Div.), Lansdowne, District Pauri Garhwal is hereby sanctioned miscarriage leave for 42 days w.e.f. 01.01.2024 to 11.02.2024.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Vigilance).

NOTIFICATION

February 29, 2024

No. 57/XIV-79/Admin.A/2003--Ms. Neelam Ratra, 2nd Additional District & Sessions Judge Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 17.01.2024 to 31.01.2024.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Vigilance).

NOTIFICATION

February 29, 2024

No. 58/XIV/50/Admin.A--Shri Pradeep Pant, District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 18.01.2024 to 27.01.2024 with permission to suffix 28.01.2024 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

February 29, 2024

No. 59/XIV-a-51/Admin.A/2020--Shri Vivek Sharma, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 26 days w.e.f. 15.01.2024 to 09.02.2024 with permission to prefix 13.01.2024 & 14.01.2024 as second Saturday and Sunday holidays and suffix 10.02.2024 & 11.02.2024 as second Saturday & Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

February 29, 2024

No. 60/XIV-94/Admin.A/2003--Ms. Archana Sagar, Additional District & Sessions Judge/Special Judge (POCSO), Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 12 days w.e.f. 17.01.2024 to 28.01.2024.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Vigilance).

NOTIFICATION

March 02, 2024

No. 61/UHC/Admin.A-II/2024--Chief Judicial Magistrate Uttarkashi shall have the additional charge of the Court of Civil Judge (Sr. Div.) Uttarkashi, until Ms. Neha Kushwaha, Civil Judge (Sr. Div.), Uttarkashi resumes her duties after availing maternity leave or till further orders, whichever is earlier, in light of the provisions of Notification No. 179/Nyaya Anubhag/2001 dated 17th March, 2001.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

ASHISH NAITHANI,

Registrar General.

NOTIFICATION

March 04, 2024

No. 62/XIV/75/Admin--Shri Arvind Kumar, Registrar (Judicial) High Court of Uttarakhand, is hereby sanctioned earned leave for 07 days w.e.f. 03.01.2024 to 09.01.2024.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

Registrar (Vigilance).

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, AT NAINITAL

NOTIFICATION

March 13, 2024

No. 63/UHC/Admin.A-II/2024--Shri Rajeev Dhawan, the then Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee District Haridwar who was placed under suspension vide Office-Memorandum No. 86/UHC/Admin.A-II/2023 dated September 06 , 2023, and has been reinstated vide Office-Memorandum No. 19/UHC/Admin.A-II/2024 dated March 13, 2024, is hereby posted as Civil Judge (Sr. Div.), Ramnagar, District Nainital in the vacant Court, with immediate effect.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

ASHISH NAITHANI,

Registrar General.

निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड

21 मार्च, 2024 ई0

संख्या 1081/933/जि0पं0अ0को0/2022–23 देहरादून–जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल, द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम सं0–11, वर्ष 2016) के भाग–4 की धारा 106 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल, के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिबन्धित एकल उपयोग प्लास्टिक उपविधि–2023 को प्रस्ताव संख्या–14 दिनांक 28.05.2023 द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल, के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत प्रतिबन्धित एकल उपयोग प्लास्टिक उपविधि–2023 निर्मित की गई हैं।

कार्यालय जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल

प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक (Single Use Plastic) उपविधि–2023

जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत एकल उपयोग प्लास्टिक (single use plastic) के प्रयोग को प्रतिबंधित करने हेतु निम्नवत् उपविधि बनायी गयी हैः–

उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 106 में जिला पंचायतों के प्रयोजन के लिये ऐसे विषय के सम्बन्ध में जिनका उपविधियों द्वारा शासित होना इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है जो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सुविधान्मुखी अनुरक्षण के प्रयोजन हेतु एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु उपविधियों का निर्माण किया जाता है, उक्त उपविधि में शासनादेश संख्या–182/XXI(1)-2017-70(08)2017 रिट दिनांक 24/10/2017 द्वारा उत्तराखण्ड की पंचायतों हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति 2017 प्रख्यापित की गयी है। इसके प्राविधानों एवं रिट याचिका संख्या–93/2022(पी0आई0एल) जितेन्द्र यादव बनाम भारत संघ एवं अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित

आदेशों व दिनांक–08/09/2022 को मा0 मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालनार्थ यह उपविधि निर्मित की जाती है। यह उपविधि उत्तराखण्ड सरकारी गजट में प्रकाशित होने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवृर्त होगी। जो कि एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबन्धित उपविधि–2023 कहलायेगी, जिसके मुख्य–मुख्य प्रतिबन्ध/शर्तें/प्राविधान निम्नवत् लागू होंगे:–

1. कोई भी स्वयं या किसी और के माध्यम से जानबूझकर या अनजाने में निम्नलिखित प्लास्टिक/थर्मोकोल/स्टायरोफोम सामान के क्रय, विक्रय, उत्पादन, आयात, भण्डारण ले जाना उपयोग व आपूर्ति जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण सीमान्तर्गत नहीं करेगा।

क– किसी भी आकार, मोटाई माप व रंग के प्लास्टिक कैरी बैग(हैंडल के साथ अथवा बिना हैंडल के) और नॉन वोवन पॉली प्रोपाईलिन बैग परन्तु बायो कम्पोस्टेबल प्लास्टिक बैग एवं 75(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किये जाने वाले परिवर्तन के अनुसार परिवर्तनीय) माईक्रो से अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट व ठोस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट परिवहन में उपयोग किये जाते हैं, पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

ख– थर्मोकोल(पॉलीस्टायरीन) पॉलीयुरेथेन, स्टायोफोम और इसी तरह के बने एकल उपयोग के लिये डिस्पोजेबल कटलरी या प्लास्टिक जैसे प्लेटें, कटोरे, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, स्ट्रिर(1 जुलाई 2022 से मिठाई के डिब्बों के इर्द–गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमन्त्रण कार्ड और सिगरेट पैकिट 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी0वी0सी0 बैनर, प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारे के लिये प्लास्टिक की झंडिया, प्लास्टिक के झण्डे, कैण्डी स्टिक आइसक्रीम की डंडियां, पॉलीस्टायरीन(थर्मोकोल) की सजावटी सामाग्री आदि चाहे वह किसी भी आकार व प्रकार की हों।

ग– एकल उपयोग खाद्य पदार्थ के पैकेजिंग कन्टेनर चाहे किसी भी आकार, माप प्रकार व रंग के हो जो पुनः चक्रित प्लास्टिक से बने हो व जो खाद्य/तरल पदार्थ को ढक कर ले जाने व भण्डारित करने में उपयोग होता हो।

2. उक्त उपनियम कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी वस्तुयें में लागू नहीं होंगे।

नोट–कम्पोस्ट प्लास्टिक भारतीय मानक जो तत्समय लागू हो की पुष्टि करेगा, बायो कम्पोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माता या विक्रेता विपणन या विक्रय से पहले केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (जो भी लागू हो) से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

क–कोई भी व्यक्ति जानते हुये या अन्यथा की दशा में सार्वजनिक स्थल में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक को जो इन उपनियमों में प्रतिबंधित प्लास्टिक हो–को नही फेंकेगा तथा उसका प्रयोग भी नहीं करेगा।

3. हाट बाजार संचालक समस्त व्यवासायियों, धार्मिक स्थलों व संस्थानों, सिनेमा घरों, मॉल, रेस्तरां, कैफे, मोबाइल, फूड काउन्टर कैटर्स और अन्य स्थानों जैसे बारात घर, पार्टी हॉल कार्यालय, संस्थान, फैक्ट्री स्वामी और प्राधिकरण उक्त उपनियमों का कडाई से अनुपालन करने हेतु उत्तरदायी होंगे, इसके साथ ही साथ उनके द्वारा प्लास्टिक जनित अपशिष्ट के एकत्रीकरण हेतु उनके परिसर में स्थान उपलब्ध कराया जायेगा व प्लास्टिक का एकत्रीकरण किया जायेगा व प्लास्टिक के एकत्रीकरण के पश्चात उसको जिला पंचायत अथवा अधिकृत ठेकेदार अपने परिवहन द्वारा या नियत निस्तारण स्थल पर पृथक्कीकरण कम्प्रेश करने के उपरान्त पुनर्चक्रण हेतु भेजेगा।

4. बोतल बन्द पानी की शीतल पेय हेतु पॉली इथायलीन टरेथलेट(पी0ई0टी0/पी0ई0टी0ई0) बोतलों के उत्पादनकर्ता विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के तहत परस्पर सहमत नियमों और शर्तों के अन्तर्गत एक ही खुदरा बिक्री नेटवर्क के माध्यम से क्रमशः पॉलीथीन टरेथ्थलेट की बोतलों और प्लास्टिक अपशिष्टों को वापस लेंगे अथवा उनके उत्पाद द्वारा जनित प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण परिवहन व सुरक्षित निस्तारण हेतु जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल द्वारा किये गये खर्चों का भुगतान उनके द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
5. ऐसी सभी उत्पादन इकाईयां जो बिन्दु संख्या 1(ख) में निर्दिष्ट उत्पाद बना रही हैं, उन्हें इन उपनियमों के लागू होने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन बन्द करना होगा।
6. गैर बुना हुआ प्लास्टिक बैग 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर(जी0एस0एम0) से कम नहीं होगा।
7. 75 माइक्रोन (उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किये जाने वाले परिवर्तन के अनुसार परिवर्तनीय) माइक्रो से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग व अन्य प्लास्टिक पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू होगा। ग्रामीण क्षेत्र के समस्त व्यवसायी, फैक्ट्री स्वामी, प्रतिष्ठान, संस्थागत इकाईयां, घरों से उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्टों को पृथक्–पृथक् रूप से एकत्रित करने की जिम्मेदारी स्वयं समस्त व्यवसायियों, फैक्ट्री स्वामियों, प्रतिष्ठानों, संस्थागत इकाईयों व घरों के उत्पादनकर्ताओं की होगी, ताकि प्लास्टिक अपशिष्टों को निस्तारण हेतु सुगमता से परिवहन किया जा सके।
8. उपरोक्त उपविधियों का उल्लंघन करने की दशा में निम्नानुसार जुर्माना आरोपित किया जायेगाः–

उल्लंघनकर्ता	जुर्माने की धनराशि(रूपये में)
उत्पादनकर्ता	रू0 5,00,000/–(पांच लाख)
परिवहनकर्ता	रू0 2,00,000/–(दो लाख)
खुदरा विक्रेता/विक्रेता	रू0 1,00,000/–(एक लाख)
व्यक्तिगत उपयोग कर्ता	रू0 100/–(एक सौ रूपये)
व्यवसायियों द्वारा उपयोग लाये जाने पर	रू0 5000/– अथवा रू0 500/– प्रति पॉलीथीन
यदि पुनः उल्लंघन करना पाया जाता है तो सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता पर उपरोक्त दरों के अनुसार दोगुना जुर्माना आरोपित किया जायेगा।	

9. जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल की ओर से अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत किये जाने वाले जिला पंचायत के अधिकारी/कार्मिक यथा कार्य अधिकारी, अभियन्ता, कर अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता, समस्त प्रधान सहायक, समस्त वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक, समस्त कर निरीक्षक/कर समाहर्ता उपरोक्त उपविधि/उपनियमों/निर्देशों के कार्यान्वयन/जुर्माना आरोपित करने हेतु अधिकृत होंगे।
10. उपरोक्तानुसार अधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा एकत्र किये जाने वाले जुर्माने की धनराशि जिला पंचायत में एक अलग खाते में जमा करायी जायेगी।
11. जिला पंचायत के अधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों के पास यदि उल्लंघन कर्ता द्वारा जुर्माने की धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उस जुर्माने की धनराशि वसूलने हेतु उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 180 के अन्तर्गत मांग बिल प्रस्तुत किये जायेंगे, उक्त के उपरान्त भी यदि 15 दिवस की अवधि अन्तर्गत उल्लंघनकर्ता द्वारा जुर्माने की धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उसके विरूद्व नियमानुसार कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी।
12. जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल द्वारा निर्मित उक्त उपविधियों के उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरूद्व जिला पंचायत अधिनियम की धारा 182 के अन्तर्गत न्यायिक क्षेत्र नई टिहरी में वाद दायर करते हुए जुर्माने की धनराशि मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल की जायेगी। जिसके समस्त खर्चे हर्जाने का उत्तरदायित्व उल्लंघनकर्ता का होगा।

।। शास्ति/दण्ड ।।

उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 106 एवं 149 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल यह आदेश देती है कि उपरोक्त उपविधि में किसी भी एक उपनियम/उपविधि का उल्लंघन करने पर ऐसे उल्लंघनकर्ता के विरूद्व मा0 न्यायालय द्वारा दोष सिद्व होने पर जुर्माने के अतिरिक्त रू0–1000/– तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है एवं यदि ऐसे उल्लंघन जारी रहता है तो प्रथम दोष सिद्व होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें उल्लंघन जारी हो रू0–100/– प्रतिदिन की दर से जुर्माना किया जा सकता है, और जुर्माना अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास अथवा जैसा मा0 न्यायालय द्वारा विहित किया जाय दण्डनीय होगा। उक्त क्रम में न्यायिक क्षेत्र जनपद टिहरी गढ़वाल होगा।

संजय खण्डूड़ी,
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।

सोना सजवाण,
अध्यक्ष,
जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तराखण्ड–देहरादून।

निधि यादव,
निदेशक।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 हिन्दी गजट/211–भाग 1–क–2024 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 अप्रैल, 2024 ई0 (चैत्र 17, 1946 शक सम्वत्)

भाग 7

इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

आदेश

दिनांक : 15 मार्च, 2024 ई0

संख्या 76/उत्तराखण्ड–वि0स0/18/2022/सी.ई.एम.एस.–III–यतः, उत्तराखण्ड राज्य की **18–धर्मपुर,** विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं. 464/उत्तरा0–वि0स0/2022 दिनांक 21.01.2022 के जरिए की गई थी।

यतःलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः **18-धर्मपुर,** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **देहरादून**, उत्तराखण्ड के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं. 2782/XXV-53/2022 देहरादून के जरिए अग्रेषित दिनांक 22/04/2022 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री राजेन्द्र प्रसाद गैरोला,** जो **उत्तराखण्ड** विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र **18-धर्मपुर,** से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **देहरादून**, उत्तराखण्ड, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री राजेन्द्र प्रसाद गैरोला,** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तराखण्ड-वि.स./18/2022/सी.ई.एम.एस.-III, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री राजेन्द्र प्रसाद गैरोला,** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **देहरादून** ने अपने पत्र संख्या 891/XXV-22 (II)/2008 दिनांक 15 जून, 2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी की पत्नि श्रीमती आरती गैरोला द्वारा दिनांक 18.11.2022 को प्राप्त किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **देहरादून** द्वारा अपने पत्र संख्या 1762/25-75/2023 दिनांक 26.12.2023 के द्वारा अग्रेषित कर भेजी गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री राजेन्द्र प्रसाद गैरोला,** ने न तो कोई भी अभ्यावेदन किया और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री राजेन्द्र प्रसाद गैरोला,** निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि **उत्तराखण्ड** राज्य के **18-धर्मपुर**, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से **उत्तराखण्ड** राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री राजेन्द्र प्रसाद गैरोला, 47 सुमन नगर, धर्मपुर, जिला - देहरादून, उत्तराखंड** को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
मस्तू दास,
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 हिन्दी गजट/211–भाग 7–2024 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।